

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहान  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीपैन्द कुमार यादव  
R.A.S

हसन ..... उनवान तहसिलदार सिद्धा  
बनाम

दावा बाबत 88 RT Act .....

मुकदमा नम्बर :- 105/18

निर्णय दिनांक :- 1.6.18

वादी की ओर से हसन ..... की व प्रतिवादी की ओर से TDR सिद्धा की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 1.6.18 को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी).....  
उपखण्ड अधिकारी, चौहान के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का दावा आपसी सहमति से खींच कर मौजा स्ते का  
पत्रा के खेत ख.न. 165, 203 के वादी का नाम हासम पुत्र  
हुसेन के प्लान पर शुद्ध नाम हसन पुत्र हुसेन हुसैन  
कले का घोषणा की जाती है। उपरोक्तानुसार राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दरमद कले का तहसिलदार सिद्धा को  
आदेश दिया जाता है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 1.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



( सीए )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
(SDO) चौहान  
पदेन सहायक कलक्टर,.....